

(1) सिविल अपील क्रमांक: 30 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 30 / 14

संस्थापन दिनांक 17 / 11 / 2014

फाइलिंग नं-23030314532014

1. जयेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण पाल सिंह
आयु 35 साल जाति जादौन ठाकुर
निवासी ग्राम चक सर्वा परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0अपीलार्थी / वादी

बनाम

1. नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण पाल सिंह
आयु 40 साल जाति जादौन
निवासी ग्राम गुलाबपुरा परगना सपोटरा
जिला करौली राजस्थान
2. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला भिण्ड म0प्र0
3. श्रीमती नीरज भदौरिया पत्नी श्री रामेदव सिंह भदौरिया
आयु 34 साल निवासी माधवीनगर गदाईपुरा हजीरा
ग्वालियर म0प्र0प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी / वादी द्वारा श्री पी0के0 वर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी क्रमांक 03 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी क्रमांक 02 पूर्व से एकपक्षीय।

न्यायालय-श्री केशवसिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद, जिला भिण्ड
द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक- 24ए/2012 ई0दी0 में घोषित निर्णय दिनांक
05/11/14 से उत्पन्न सिविल अपील।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 18 जनवरी 2017 को घोषित किया गया)

1. वादी/अपीलार्थी की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96
सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद श्री केशवसिंह द्वारा
सिविल वाद क्रमांक 24ए/2014 ई0दी0 में घोषित निर्णय व डिक्री दिनांकित
05/11/2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ

(शार)

न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी के मूल वाद को खारिज किया है।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है, कि वादी/अपीलार्थी जयेन्द्रपाल सिंह और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नरेन्द्र पाल सिंह आपस में सगे भाई होकर स्वर्गीय लक्ष्मण पाल सिंह जादौन की संतानें हैं, यह भी निर्विवादित है, कि मूल वाद स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह और नरेन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा को पेश किया गया था, और वाद प्रस्तुति दिनांक 10/11/09 को ही स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा अपने पुत्र नरेन्द्रपाल सिंह की सहमति से प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 श्रीमती नीरज भदौरिया को पंजीकृत बिक्रयपत्र द्वारा विवादित भूमि बिक्रय की गई, जिसके आधार पर श्रीमती नीरज भदौरिया को प्रतिवादी के रूप में अपील में मूल वाद में समाहित किया गया था, यह भी निर्विवादित है, कि वादलंबन काल में लक्ष्मणपाल सिंह की मृत्यु गुलामपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान में दिनांक 08/02/10 को हुई थी, तथा यह भी निर्विवादित है, कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख पर स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह बतौर भूमि स्वामी जीवन पर्यन्त इद्राजित रहा है।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि भूमि सर्वे क्रमांक 206/1 रकबा 1.94 हैक्टे0 ग्राम चक सर्वा तहसील गोहद में स्थित है, यही भूमि विवादित है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को यह भूमि अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, प्रतिवादी क्रमांक 01 को ग्राम तुकेडा में लगभग-18 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी, प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा पैत्रिक भूमि तुकेडा का बिक्रय करके उससे प्राप्त प्रतिफल की राशि अपने नाम से उपरोक्त विवादित सम्पत्ति ग्राम चक सर्वा में क्रय की थी, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 01 कर्ता खानदान है, और कृषि भूमि पर दृशमान स्वामी के रूप में अंकित है, प्रतिवादी क्रमांक 01 लगभग 12 वर्ष पूर्व ग्राम चक सर्वा छोड़कर गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान में जाकर रहने लगा है, प्रतिवादी क्रमांक 01 ने पारिवारिक व्यवस्थापन किया जिसके अनुसार उपरोक्त विवादित भूमि वादी के हक में लिखित रूप से पारिवारिक व्यवस्थापन निष्पादित किया था, तथा वादी पारिवारिक व्यवस्थापन के आधार पर उक्त विवादित सम्पत्ति में अपना हिस्से के बदले प्राप्त राशि से ग्राम गुलाबपुरा जिला करौली में सम्पत्ति क्रय कर ली है, और स्थाई रूप से वहीं निवासरत है, विवादित सम्पत्ति से प्रतिवादीगण को संबंध सरोकार नहीं है। वादी विवादित भूमि पर बहैसियत काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है और प्रतिवादीगण की जानकारी में 12 वर्षों से निरंतर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 04 के हक में दिनांक 10/11/09 को बिक्रय कर दिया है, जो बिक्रय बिना कृषि भूमि पर कब्जा दिए तथा बिना प्रतिफल प्राप्त किए बिक्रयपत्र किया है, जो वादी के मुकाबले शून्य है, इसलिए वादी यह सहायता चाहता है, कि विवादित भूमि का बिक्रयपत्र क्रमांक 585 दिनांक 10/11/09 का वादी के मुकाबले प्रभावहीन होकर शून्य है, तथा प्रतिवादीगण को निषेधित किया जावे कि वे वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें।
4. प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का जबाब प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 श्रीमती नीरज भदौरिया की ओर से प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया है, कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की पैत्रिक भूमि नहीं है, यह भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसका उसे बिक्रय करने का पूर्ण वैधानिक स्वत्व प्राप्त है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपनी आवश्यकताओं के लिए दिनांक 10/11/09 को पूर्ण प्रतिफल 13,88,000/—(तेरह लाख अठारह हजार) रूपए प्राप्त कर गवाहों के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 04 के हक में रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र सम्पादित करके कब्जा सौंप दिया है, तब से विवादित भूमि पर प्रतिवादिया का कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित भूमि का दृश्यमान स्वामी नहीं था, वह भूमि की वास्तविक स्वामी थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने बिक्रयपत्र निष्पादित करते समय प्रतिवादी क्रमांक 02 नरेन्द्रपाल की भी सहमति ली थी, और रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र पर नरेन्द्र पाल के भी हस्ताक्षर हैं, वादी की ओर से प्रस्तुत लिखित पारिवारिक व्यवस्थापन पूर्णतः फर्जी है। जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही प्रतिवादी क्रमांक 02 के हस्ताक्षर हैं, लिखित पारिवारिक व्यवस्था पर दो अन्य लोग वीरेन्द्र सिंह एवं पटेलसिंह के हस्ताक्षर हैं, लेकिन व्यवस्थापन पंजीकृत भी नहीं है, और आज तक राजस्व अभिलेखों में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित भूमि का रिकार्डेड भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है उसके द्वारा किया गया बिक्रयपत्र किसी भी दृष्टिकोण से दिखावटी व अधिकार विहीन नहीं है, अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे तथा वादी किसी प्रकार की कोई सहायता पाने का पात्र नहीं है।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 05/11/14 को घोषित निर्णयानुसार वादी/अपीलार्थी का वाद निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश की गई है।
6. वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील में मूलतः यह आधार लिया है, कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 206/01 रकबा 1.94 हेक्टे0 स्थित ग्राम चक सर्वा तहसील गोहद में स्थिति विवादित भूमि है, उक्त विवादित भूमि को संयुक्त परिवार की पैत्रिक कृषि भूमि जो ग्राम चक तुकेडा तहसील गोहद में थी, उसे बिक्रय करके उसके प्रतिफल से कय की गई थी इस कारण विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है और उसमें वादी/अपीलार्थी का जन्म से अधिकार है, उसका पिता लक्ष्मणपाल सिंह परिवार के कर्ता खानदान था, इस हैसियत से उनका राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पर इन्द्राज था, उसके पिता स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह ने अपने जीवन काल में पारिवारिक व्यवस्थापन किया था, जिसकी लिखापट्टी दिनांक 28/06/98 को की गई थी, और स्वर्गीय लक्ष्मणपालसिंह एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी नरेन्द्रपाल सिंह ने ग्राम चक सर्वा छोड़कर ग्राम गुलाबपूरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान में सम्पत्ति ले ली थी, और वहीं स्थाई रूप से निवास करने लगे थे, पारिवारिक व्यवस्थापन के तहत उसे विवादित सम्पत्ति मिली थी, तभी से वह उस पर काबिज कास्त बतौर भूमिस्वामी एकाकी रूप से चला आ रहा है, और पारिवारिक व्यवस्थापन पश्चात भूमि पर स्वर्गीय लक्ष्मणपालसिंह का कोई हक अधिकार स्वामित्व आधिपत्य नहीं रहा था, इसलिए राजस्व कागजात के इन्द्राज के आधार पर स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा नरेन्द्रपाल सिंह की सहमति से प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 श्रीमती नीरज भदौरिया को दिनांक 10/11/09 को निष्पादित बिक्रयपत्र अवैध और अधिकार विहीन है, जिससे क्रेता श्रीमती नीरज भदौरिया को कोई भी स्वत्व आधिपत्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि उक्त आवेदनपत्र बिना प्रतिफल व कब्जे के आदान प्रदान के उसके द्वारा दावा प्रस्तुत कर देने के बाद किया गया और श्रीमती नीरज भदौरिया को

(शा)

कोई कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, तथा श्रीमती नीरज भदौरिया ग्राम सर्वा में नहीं रहती है, बल्कि ग्वालियर में निवासरत है और वर्तमान में भी अपीलार्थी/वादी का कब्जा व स्वामित्व होकर खेती हो रही है, उपरोक्त बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है, और अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़ते हुए, गलत निष्कर्ष निकाल कर वाद खारिज कर दिया है, जबकि वह विधि सम्मत तरीके से डिक्री योग्य है, और प्र०पी०-08 का पारिवारिक व्यवस्थापनपत्र बंटवारे की भांति साक्ष्य में ग्राह्य योग्य था, जिसे अग्राह्य करके विधिक त्रुटि की है, तथा पारिवारिक व्यवस्थापन के दस्तावेज को फर्जी प्रमाणित करने का प्रमाण भार प्रतिवादी/प्रत्यर्थी पर था, जिसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उसे फर्जी और अप्रमाणित माना जाए इसलिए प्रस्तुत सिविल अपील स्वीकार की जाकर मूल वाद डिक्री किए जाने योग्य और बिक्रयपत्र दिनांकित 10/11/09 वादलंबन काल का होने से व्यर्थ व प्रभावशून्य घोषित कर विवादित भूमि का वादी/अपीलार्थी को भूमिस्वामी आधिपत्यधारी होना घोषित किया जाए।

7. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक-24ए/2012 इ०दी० में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/11/14 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री किए जाने योग्य है?

-:- निष्कर्ष के आधार -:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण

8. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का विश्लेषण और निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
9. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में लिए गए आधारों और उठाए गए बिन्दुओं अनुरूप अपने विस्तृत अंतिम तर्कों में मूलतः स्वीकृत तथ्यों के अलावा इस बात पर बल दिया है, कि विवादित भूमि उसके पिता द्वारा ग्राम तुकेडा की पैत्रक भूमि का बिक्रय करके उससे प्राप्त प्रतिफल से क़य की थी और चूंकि पिता परिवार के मुखिया थे, इसलिए राजस्व अभिलेख में भूमि उनके नाम दर्ज हुई थी, लेकिन उक्त भूमि पैत्रक सम्पत्ति के स्रोत से खरीदी जाने के कारण वादी/अपीलार्थी और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 के लिए पैत्रिक सम्पत्ति हो गई थी, किंतु राजस्व इंद्राज का अनैतिक लाभ उठाते हुए पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 श्रीमती नीरज भदौरिया को प्र०पी०-06 द्वारा भूमि अनाधिकृत रूप से बिक्रय की क्योंकि प्र०पी०-08 द्वारा किए गए पारिवारिक व्यवस्थापन के पश्चात स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह का विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार शेष नहीं था, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्थापन के बाद पिता लक्ष्मणपाल सिंह और भाई नरेन्द्रपाल सिंह ग्राम गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान चले गए थे, और वहां की सम्पत्ति उन्हें प्राप्त हो गई थी, जो स्थाई रूप से वहीं रहने लगे थे, इस बात का प्रमाण मूल वाद में उपस्थिति के लिए भेजी गई तामिलों की

रिपोर्ट से आया है तथा लक्ष्मण पाल सिंह के मृत्यु प्रमाणपत्र से भी स्पष्ट है, क्योंकि मृत्यु गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली में हुई थी, इससे पारिवारिक व्यवस्थापन की पुष्टि होती है, और उसके प्रभावशील रहते हुए, बिक्रयपत्र प्र0पी0-06 अवैध हो जाता है।

10. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी किया है, कि कब्जे के संबंध में एस0डी0एम0 गोहद के यहां से जांच हुई थी, जिसमें वादी/अपीलार्थी का कब्जा व कास्त पाया गया था, पारिवारिक व्यवस्थापन का पंजीयन आवश्यक नहीं है और पारिवारिक व्यवस्थापन के संबंध में सुदृढ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई थी, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर साक्ष्य को अनदेखा किया है और अभिलेख व साक्ष्य के प्रतिकूल और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए विधि विरुद्ध निष्कर्ष निकाल कर वाद खारिज किया है, जो कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, तथा जिस बिक्रयपत्र के आधार पर श्रीमती नीरज भदौरिया अपना हक जता रही है, उसे उसके तहत कोई कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही उसके द्वारा प्रतिफल दिया गया है, इसलिए बिक्रयपत्र प्रमाणित नहीं है तथा पारिवारिक व्यवस्थापन के तहत वादी/अपीलार्थी ने अपने पिता लक्ष्मणपाल सिंह को एक लाख रुपए नगद भी दिए थे, जिसके बारे में मौखिक साक्ष्य भी आई है, और उसका खण्डन नहीं है, तथा बिक्रयपत्र पर सहमतकर्ता भाई नरेन्द्रपाल सिंह द्वारा भी हस्ताक्षर को स्वीकार किया गया है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर मूल वाद डिक्री किया जाए और श्रीमती नीरज के पक्ष में निष्पादित बिक्रयपत्र प्र0पी0-06 को उसके मुकाबले व्यर्थ और शून्य घोषित किया जाए, क्योंकि वह वाद लंबन काल में अवैध रूप से कराया गया है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में वादी/अपीलार्थी के अधिवक्ता के आधारों पर सहमति प्रकट की है।

11. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 श्रीमती नीरज भदौरिया की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से असहमति प्रकट कर अपने तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया है, कि विवादित भूमि लक्ष्मणपाल सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जो उसने स्वयं के परिश्रम से क़य की थी, पैत्रक सम्पत्ति का बिक्रय करके नहीं खरीदी गई और वादी/अपीलार्थी द्वार पैत्रक सम्पत्ति का बिक्रय कर उससे विवादित भूमि खरीदी जाने का कोई प्रमाण पेश नहीं दिया है, जिसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि सम्मत है, तथा प्र0पी0-06/प्र0डी0-01 का बिक्रयपत्र कराने के बाद, आनन-फ़ानन में वादी/अपीलार्थी ने दावा पेश किया, बिक्रयपत्र पर नरेन्द्रपाल सिंह की सहमति की कराई गई राजस्व अभिलेख में लक्ष्मणपाल सिंह बतौर भूमि स्वामी इंद्राजित और काबिज कास्त था, और दस्तावेजों का अवलोकन कर भूमि क़य कर पंजीकृत बिक्रयपत्र कराया गया तथा कब्जे का प्राप्त किया, तथा प्रतिफल प्रदान किया गया था, जिसके विरुद्ध मौखिक साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि बिक्रयपत्र वादी साक्षियों की उपस्थिति में नहीं हुआ, नरेन्द्रपाल सिंह ने सहमति दी थी, किंतु पिता की मृत्यु के पश्चात उसके मन में लालच आ जाने और वादी/अपीलार्थी जो कि सगा भाई है, उससे दुरभिसंधि करके जबाब दावे में समर्थन करने लगा है, जबकि उसने साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है, जिसके संबंध में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि सम्मत है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे साक्ष्य

और विधि पर आधारित होकर पुष्टि योग्य है, तथा वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील के ज्ञापन में लिए आधार और तर्कों के माध्यम से उठाए बिन्दु विधिक बल नहीं रखते हैं, इसलिए आलोच्य निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त की जावे।

12. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, ऐसे में संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना विधिक अपेक्षा में शामिल है, तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1994 भाग-01 एम0पी0जे0आर0 पेज-148** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

13. अधीनस्थ न्यायालय मूल अभिलेख, आलोच्य निर्णय एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य का अध्ययन किया गया, वादी/अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत तथ्यों के अलावा जो आधार लिए गए हैं, उसमें वादी/अपीलार्थी का मूल आधार इस आशय का रहा है, कि विवादित भूमि जो ग्राम सर्वा में सर्वे क्रमांक 206/01 रकवा 1.94 हैक्टे0 है, उसे उसके पिता स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा ग्राम तुकेडा की पैत्रक भूमि का बिक्रय कर उससे प्राप्त प्रतिफल से क्रय की गई थी, इस कारण उसके लिए विवादित भूमि पैत्रक सम्पत्ति हो जाती है, और इस संबंध में वादी/अपीलार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य भी पेश की गई है, दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की गई है, जिसमें वादी/अपीलार्थी जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा0-01 का समर्थन ग्राम तुकेडा के विरेन्द्र सिंह तोमर वा0सा0-02 और पटेलसिंह तोमर वा0सा0-03 तथा उत्तम सिंह सिकरवार वा0सा0-04 जो ग्राम सर्वा के रहने वाले हैं तथा ग्राम तुकेडा के देवेन्द्रसिंह वा0सा0-05 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किया गया है, किंतु वादी/अपीलार्थी सहित पांचों साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है, कि ग्राम तुकेडा की कौनसी भूमि पैत्रक सम्पत्ति थी, जिसे लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा बिक्रय कर उससे प्राप्त हुए प्रतिफल से विवादित भूमि क्रय की गई। वादी साक्षियों की स्थिति देखी जाए तो, वादी जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा0-1 का वीरेन्द्रसिंह वा0सा0-02 ससुर है, क्योंकि उसके पैरा-05 में वादी जयेन्द्रपाल को अपना दामाद स्वीकार किया है, इसी प्रकार पटेलसिंह तोमर वा0सा0-03 के मुताबिक भी वादी जयेन्द्रपाल उसका दमाद लगता है और उत्तमसिंह वा0सा0-04 ने पैरा-04 में यह कहा है, कि लक्ष्मणपाल सिंह ने ग्राम तुकेडा में अपनी 15 बीघा जमीन जण्डेलसिंह और गोविंद सिंह को करीब 30 साल पहिले बेची थी, जो उसके सामने नहीं बेची है, उसे कैसे जानकारी है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, देवेन्द्रसिंह वा0सा0-05 के मुताबिक उसने वादी से अपना कोई रिश्ता होना तो नहीं कहा है, किंतु यह स्वीकार किया है, कि वादी जयेन्द्रपाल सिंह की ग्राम तुकेडा में ससुराल है, और गांव के नाते वादी जयेन्द्रपाल सिंह उसका फूफा लगता है, अर्थात् सभी वादी साक्षियों की आपस में हितबद्धता है, हालांकि यह सुस्थापित विधि है, कि सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के

(शार)

आधार पर किया जाता है, न कि संदेह के आधार पर, इसलिए रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, किंतु देवेन्द्र सिंह वा0सा0-5 कथन प्रस्तुति के समय 42 साल का था, और वादी 35 साल का था ऐसे में वादी का वा0सा0-05 का फुफा लगने की बात सही नहीं लगती है।

14. मूल वादपत्र के अभिवचनों में वादी/अपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया गया है, कि ग्राम तुकेडा की कौनसी भूमि पैत्रक थी, उसे लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा कब बेचा गया, किसे बेचा गया, कितने प्रतिफल में बिक्रय किया, ऐसे में अभिवचन भी पूर्ण और स्पष्ट इस बिन्दू पर नहीं है, हालांकि दस्तावेजी साक्ष्य में वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्र0पी0-07 के रूप में एक बिक्रयपत्र पेश किया गया है, जिसके मुताबिक स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा रामदास पुत्र कल्याणसिंह और डोंगर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम तुकेडा को 30,000/-रुपए प्रतिफल में ग्राम तुकेडा की भूमि जिनका सर्वे क्रमांक बिक्रयपत्र पर अंकित है, उन्हें दिनांक 26/05/87 को बिक्रय किया गया प्रकट होता है, किंतु विवादित भूमि जो कि ग्राम सर्वा में सर्वे नंबर 206/01 रकवा 1.94 हेक्टे0 है, उसे कब खरीदा गया किससे खरीदा गया, राजस्व अभिलेख में लक्ष्मणपाल सिंह का इंद्राज विवादित भूमि पर कब और कैसे हुए इस संबंध में न तो मौखिक साक्ष्य सुदृढ़ है, न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, जबकि इस बिन्दु पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती थी और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से वादी/अपीलार्थी को अपनी सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त होना भी दर्शित होता है, तथा वादी/अपीलार्थी की ओर से इस आशय का कोई आधार भी नहीं लिया गया है, कि उसे अपनी सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसी स्थिति में मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है, कि लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा ग्राम तुकेडा की पैत्रक भूमि को बिक्रय करके उससे प्राप्त प्रतिफल से ही विवादित भूमि खरीदी गई हो, प्र0पी0-07 से भी यह स्पष्ट नहीं होता है, कि जो भूमि प्र0पी0-07 के माध्यम से बिक्रय की गई, लक्ष्मणपाल सिंह के पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति थी, बल्कि प्र0पी0-07 के पृष्ठ क्रमांक 03 की प्रथम पंक्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कि लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा जो भूमि बिक्रय की जा रही है, उसका वह तनहा भूमिस्वामी, मालिक काबिज है और उसे अपने उक्त रकवे को बिक्रय करने का पूरा हक प्राप्त होकर बिक्रय करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

15. अभिलेख पर पैत्रक सम्पत्ति का कोई सजरा खानदान, राजस्व अभिलेख जिसमें किसी पूर्वज के स्थान पर लक्ष्मणपाल सिंह का इंद्राज हुआ हो ऐसा भी कोई प्रमाण पेश नहीं है, इसलिए अभिलेख पर वादी/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में तो पूर्णतः असफल रहा है, कि ग्राम तुकेडा की किसी पैत्रक सम्पत्ति को लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा वादी/अपीलार्थी और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नरेन्द्रपाल सिंह के जन्म से अधिकार के बावजूद पैत्रक सम्पत्ति को उनके हितों के प्रतिकूल बिक्रय किया गया और उससे प्राप्त धनराशि से विवादित भूमि लक्ष्मणपाल सिंह ने अपने नाम से खरीदी हो और कर्ता खानदान की हैसियत से अपना इंद्राज करा लिया हो और फिर उसका अनैतिक लाभ लेते हुए, श्रीमती नीरज भदौरिया को बिक्रय कर दिया हो, चूंकि वादलंबन काल में लक्ष्मणपाल सिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए कुछ बिन्दु अनसुलझे रह गए हैं, यदि लक्ष्मणपाल सिंह जीवित रहते और प्रकरण में अपना पक्ष रखते तो सभी

(शार)

बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण संभव था, किंतु प्रमाण भार उक्त मूल आधार को प्रमाणित करने का और स्थापित व प्रमाणित करने के लिए वादी/अपीलार्थी पर था, जिसका वह निर्वहन करने में विफल रहा है, ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 01 को अप्रमाणित मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और इस न्यायालय का भी यह निष्कर्ष है, कि विवादित भूमि वादी/अपीलार्थी व प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नरेन्द्रपाल सिंह श्रेणी की नहीं है, न ही स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा किसी पैत्रिक सम्पत्ति को बिक्रय कर उससे प्राप्त प्रतिफल से विवादित सम्पत्ति को खरीदा गया।

16. वादी/अपीलार्थी का दूसरा महत्वपूर्ण आधार प्र0पी0-08 का पारिवारिक व्यवस्थापन पत्र है, जिसके संबंध में उसने मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की है, कि पारिवारिक व्यवस्थापन के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० **रैना विरुद्ध चेताराम 1993 भाग-02 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट 33** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कि पारिवारिक व्यवस्थापन को विभाजन की भांति मान्य किया जा सकता है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्र0पी0-08 के पारिवारिक व्यवस्थापनपत्र को उचित रूप से मुद्रांकित न होने और पंजीकृत न होने के आधार पर अग्राह किया है, जिसके वादी/अपीलार्थी की ओर से इस आधार पर चुनौती दी गई है, कि पारिवारिक व्यवस्थापन स्वर्गीय लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित किया गया था, और निष्पादित करते समय उससे 1,00,000/-रुपए भी प्राप्त किए थे, जैसे कि वादी/अपीलार्थी के अभिवचन भी है, और साक्ष्य भी है, और प्र0पी0-08 में भी अंकित है, तथा प्र0पी0-08 के पारिवारिक व्यवस्थापन के संबंध में अभिवचनों अनुरूप वादी/अपीलार्थी जयेन्द्रपाल सिंह के द्वारा अभिसाक्ष्य भी दिया गया है, उसने यह भी कहा है, कि पारिवारिक व्यवस्थापन गोहद में हुआ था, लिखापट्टी किसने की यह उसे पता नहीं है, न उसे पहचानता है, लेकिन पारिवारिक व्यवस्थापन के आधार पर तहसील में कार्यवाही की थी, उसका पूरी दृढ़ता से समर्थन वीरेन्द्र सिंह वा0सा0-02, पटेलसिंह तोमर वा0सा0-03 और उत्तमसिंह सिरकवार वा0सा0-04 तथा देवेन्द्रसिंह वा0सा0-05 करते हैं, श्रीमती नीरजसिंह भदौरिया जो कि स्वयं को सद्भावी क्रेता बताकर आई है, उसने प्र0सा0-01 के रूप में अपने अभिसाक्ष्य में पारिवारिक व्यवस्थापन को फर्जी बताया है, और प्र0डी0-01 का बिक्रयपत्र वैधानिक रीति से प्रतिफल बिक्रेता को प्रदान कर उससे विवादित भूमि का आधिपत्य प्राप्त करते हुए किया जाना और उस पर क्रय दिनांक से अपना स्वत्व आधिपत्य हो जाना बताते हुए, वादी/अपीलार्थी का दावा झूठा बताया है, जिसका समर्थन सरदार सिंह तोमर प्र0सा0-02 जो प्र0डी0-01 के बिक्रयपत्र का अनुप्रमाणक साक्षी है उसने भी उसकी पुष्टि करते हुए किया है।

17. प्र0डी0-08 के पारिवारिक व्यवस्थापन के दस्तावेज की लिखापट्टी किसने की इस बात का स्वयं वादी/अपीलार्थी को पता नहीं है, प्र0डी0-08 पर वादी/अपीलार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है, न ही उसके भाई प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नरेन्द्रपाल सिंह के कोई हस्ताक्षर है, जिससे यह दर्शित होता है, कि उक्त दस्तावेज लक्ष्मणपाल सिंह के दोनों पुत्र जयेन्द्रपाल और नरेन्द्रपाल की उपस्थिति में नहीं लिखा गया, अन्यथा वे उस पर अपनी सहमति के हास्ताक्षर करते, क्योंकि प्र0डी0-08 की अंतिम पंक्ति में यह उल्लेखित किया गया है, कि नरेन्द्रपाल और जयेन्द्रपाल दोनों की

(शार)

सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा पूर्ण स्वस्थ चित्त एवं स्वेच्छा से किया था, यदि वास्तविकता में उक्त बात सही होती तो नरेन्द्र पाल और जयेन्द्र पाल दोनों के प्र0डी0-08 पर हस्ताक्षर होने चाहिए थे जिसका सर्वथा अभाव है।

18. प्र0डी0-08 मुताबिक जयेन्द्रपाल सिंह से जमीन के बताए 1,00,000/-रुपए लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा लिए जाने का उल्लेख किया गया है वह किस कारण हुआ इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और जहां इस तरह की शर्त हो वहां दस्तावेज स्वेच्छापूर्वक निष्पादित किया जाना अपने आप में संदेह पैदा करता है, 1,00,000/-रुपए के आदान प्रदान को देखते हुए, प्र0पी0-08 के दस्तावेज की प्रकृति पारिवारिक व्यवस्थापन की नहीं रह जाती है, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्थापन में जितने हितधारी व्यक्ति होते हैं, उन सभी का हक अधिकार सुनिश्चित किया जाता है, तभी वह बटवारे की तरह मान्य होता है, जबकि उक्त दस्तावेज में विवादित भूमि का तो स्पष्ट उल्लेख किया गया है, किंतु ग्राम गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान में कितनी सम्पत्ति थी, कितनी नरेन्द्रपाल पर रहेगी, कितनी लक्ष्मणपाल को प्राप्त होगी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि उसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए था, पूर्वजों की कौन सी जमीन बेची गई, इसका भी उक्त दस्तावेजों में अभाव है, जिसे देखते हुए, प्र0पी0-08 का दस्तावेज पारिवारिक व्यवस्थापन की श्रेणी का नहीं माना जा सकता है और उक्त दस्तावेज में जिस तरह से तथ्यों को समाविष्ट किया गया है, उससे यही दर्शित होता है, कि वादी/अपीलार्थी ने जो-जो आधार मूल दावे में लिए हैं, वे सभी आधार प्र0पी0-08 में अंकित हैं, जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष को बल मिलता है, कि वह बाद में तैयार किया हुआ दस्तावेज है, हालांकि कूटरचित है, या नहीं, यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका 20 में उल्लेखित किया है, किंतु इतना निश्चित है, कि अपने दावे के आधारों को बल देने के आशय का उक्त दस्तावेज तैयार किया जाना परिलक्षित अवश्य होता है, इसलिए उसके संबंध में वादी/अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य विधिक बल नहीं रखती है, न विश्वसनीय मानी जा सकती है।

19. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि 12 वर्ष से अधिक समय तक प्र0पी0-08 के दस्तावेज का वादी/अपीलार्थी द्वारा कोई उपयोग नहीं किया गया, न उसे प्रकट किया यह भी दस्तावेज की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, क्योंकि प्र0पी0-08 मुताबिक दिनांक 28/06/98 को उक्त दस्तावेज लिखा जाना बताया गया है, जिसे मूल वाद जो वर्ष 2009 में पेश किया गया है, उसी में प्रकट किया गया है, उसके पहले न तो उसका कहीं उपयोग किया न कहीं प्रकट किया, जिससे जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा0-01 का पैरा-09 का यह कथन कि व्यवस्थापन के आधार पर उसने तहसील में कार्यवाही की थी, लेकिन उसका प्रकरण उसे याद नहीं है असत्य हो जाता है और वास्तव में तो पारिवारिक व्यवस्थापन हुआ होता तो फिर उसके आधार पर वादी/अपीलार्थी राजस्व अभिलेख में अपना इंड्राज बतौर भूमिस्वामी कराने की कार्यवाही निश्चित तौर पर करता, जबकि उसके द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, इससे उसकी ओर से समर्थन में जो साक्षी उपस्थित हुए हैं, वे हितबद्धता के चलते साक्षी के तौर पर आना पाए जाते हैं, इसलिए वे विश्वसनीयता नहीं रह जाते हैं।

(शा)

20. वीरेन्द्रसिंह वा0सा0-02 को भी यह जानकारी नहीं है, कि पारिवारिक व्यवस्थापन की लिखापट्टी कब हुई, हालांकि वह गोहद में होना कहता है, लेकिन इस बात का उल्लेख प्र0पी0-08 में नहीं है, तथा उसे किसने ड्राफ्ट किया यह भी उसके अभिसाक्ष्य से दर्शित नहीं होता है, जबकि वा0सा0-02 के उस पर हस्ताक्षर गवाह के रूप में है, यदि वह वास्तविक साक्षी होता तो फिर उसे यह जानकारी होनी चाहिए थी, इससे भी प्र0पी0-08 का दस्तावेज सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता है।
21. प्र0पी0-8 का दूसरा साक्षी पटेलसिंह तोमर वा0सा0-3 है जिसके अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो वह पारिवारिक व्यवस्थापन की लिखापट्टी पुरानी कचहरी में होना स्टाम्प पर कराई जाना बताता है, जबकि वह सादे कागज पर है, वह 4-5 लोगों की उपस्थिति बताते हुए देवेन्द्र सिंह, रामवरन, संग्रामसिंह, दरोगासिंह की उपस्थिति बताता है, जिसमें से देवेन्द्रसिंह वा0सा0-5 के रूप में परीक्षित हुआ है, लेकिन वह पैरा-05 में साफ तौर पर कहता है, कि लिखापट्टी के लिए वह गोहद नहीं आया था, और उसके सामने कोई लिखापट्टी नहीं हुई थी, वह यह भी मानता है, कि लक्ष्मण पाल सिंह का नाम राजस्व कागजात में भूमि स्वामी के रूप में लिखा था, और उनकी खसरे में प्रविष्टि थी, और ऋण पुस्तिका भी बनी थी, इससे भी प्र0पी0-08 का खण्डन होता है, उत्तम सिंह वा0सा0-4 की न तो किसी ने उपस्थिति प्र0पी0-8 के समय बताई है, न ही वह साक्षी है, और न उसे जानकारी है, ऐसे में प्र0पी0-08 के संबंध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका 21 में उल्लेखित न्याय दृ0 को प्रकरण में प्रयोज्य योग्य न मानकर प्र0पी0-08 को पारिवारिक व्यवस्थापन के रूप में अग्रह्य करके कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और वादप्रश्न क्रमांक 02 लगायत 04 को अप्रमाणित मानकर साक्ष्य या विधि की कोई भूल भी नहीं की है और उनके संबंध में मूल्य निष्कर्ष पुष्टि योग्य है।
22. प्र0पी0-06/प्र0डी0-01 के बिक्रयपत्र के संबंध में श्रीमती नीरज भदौरिया प्र0सा0-01 और अनुप्रमाणक साक्षी सरदार सिंह तोमर की जो साक्ष्य है, वह दस्तावेज के समर्थनकारी है, तथा उस पर नरेन्द्रपाल सिंह की सहमति भी है, नरेन्द्रपाल सिंह ने जबाब दावे के माध्यम से वादी के दावे की स्वीकारोक्ति तो की है, किंतु उसने साक्ष्य का सामना नहीं किया है, जिससे वादी/अपीलार्थी से उसकी दुरभिसंधि होने का जो आधार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 श्रीमती नीरज भदौरिया द्वारा लिया गया है, उसे बल मिलता है, और उसकी साक्ष्य इस बात का प्रमाण देती है, कि वह सद्भावी क्रेता है, क्योंकि लक्ष्मणपाल सिंह बतौर भूमिस्वामी विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेख में इंद्राजित थे, जिससे उसने प्रतिफल देकर भूमि क्रय की और आधिपत्य प्राप्त किया, कृषि भूमि पर कब्जे का भी राजस्व इंद्राज के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वादी/अपीलार्थी का कब्जा होने और पारिवारिक व्यवस्थापन वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2009 के बीच कोई फसल पैदा करने का भी प्रमाण नहीं है, इसलिए उसके कब्जे की पुष्टि भी होती है, सद्भावी क्रेता के नाते बिक्रयपत्र प्र0डी0-01 मुताबिक श्रीमती नीरज भदौरिया को आधिपत्य प्राप्त हुआ है और उसे ही वैधानिक कब्जाधारी माना जाएगा, ऐसे में प्र0पी0-01/प्र0डी0-01 का बिक्रयपत्र वादी/अपीलार्थी के मुकाबले व्यर्थ व प्रभाव शून्य घोषित नहीं हो सकता है, क्योंकि न तो पैत्रक सम्पत्ति से लक्ष्मण पाल सिंह द्वारा कोई भूमि खरीदी जाना प्रमाणित हुआ है, न ही वादी/अपीलार्थी का उसमें कोई हक, अधिकार प्रमाणित हुआ है और न ही

पारिवारिक व्यवस्थापन की पुष्टि हुई है, ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी की ओर से जो आधार लिए गए हैं, वह उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कोई विधिक बल नहीं रखते हैं, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी के मूल वाद को अस्वीकार कर खारिज करने में कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल, त्रुटि किया जाना नहीं पया जाता है, इसलिए अपील विधिक बल नहीं रखती है, और स्वीकार योग्य नहीं है, फलतः बाद विचार प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की पुष्टि की जाती है।

23. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वादी/अपीलार्थी अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 श्रीमती नीरज भदौरिया का भी प्रकरण व्यय वहन करेगा। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार अपील निरस्ती की डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक— 18 जनवरी 2017

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0).

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमा)